(20)

संख्या– 551 /VI-2/2011–33(9)/2011

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, खेलकूद एवं पर्यटन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक : 05 जुलाई, 2011

विषय :–इण्डियन जूनियर एण्ड कैडेट ओपन–आई0टी0टी0एफ0प्रीमियम जूनियर सर्किट के आयोजन हेतु सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–590/प्रादे0की0सं0अनु0पत्रा0/2010–11/दे0दून, दिनांक– 9 जून, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड टी0टी0 एसोसिऐशन द्वारा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून में दिनाक 28 सितम्बर, 2011 से 02 अक्टूबर, 2011 तक इण्डियन जूनियर एण्ड कैडिट ओपन–आई0टी0टी0एफ0 प्रीमियम जूनियर सर्किट के आयोजन हेतु पूर्व में आयोजनागत पक्ष में आपके निवर्तन पर रखी गयी कुल धनराशि ₹ 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदां में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों एवं अन्य संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा वास्तविक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

(ii) उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। योजना सम्बंधी जारी दिशा–निर्देश/शासनादेश दिनांक–30–11–09 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है; यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आंवटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं

Letter section/

देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

(iv) उक्त अनुदान के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय–16–क–अनुच्छद–369 के सुसंगत प्राविधानों उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं अनुदान सम्बंधी विद्यमान अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–104 खेलकूद–12–प्रदेशीय कीडा संघों, क्लबों व अन्य कीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के आयोजनागत पक्ष के नाम में डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– (पी)/XXVII(3)/2011 दिनांक– जुलाई, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 551 /VI-1/2011–33 (09)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
7. एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

Letter section/